

28.05.2024:-आज यह पत्रावली वादीया अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से पक्षाकारो का राजीनाम हो गया। जिससे प्रार्थी अब अपने प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहता है। प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज (ड्राप) फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत मे विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)
 सहायक कलेक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

39 नियम 2'ए' जाब्ता दीवानी 1908

91
 2023

(Signature)
 13/4/23

सह
 उपखण्ड अ
 हनुमा

जरनैल सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह, पुत्र श्री इन्द्र सिंह, ज
 वार्ड नम्बर 09, सहजीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (रा)



बनाम

जसपाल सिंह पुत्र स्व. श्री प्रीतम सिंह, जाति जटसिख, निवा
 आबाद सैक्टर नम्बर 03, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम
 जाब्ता दीवानी 1908, जिसके अन्तर्
 अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के स्
 आदेश की अवहेलना की गई के वि
 कार्यवाही बाबत।

श्रीमान् जी,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न प्रस्तुत

1. यह कि प्रार्थी एवं  का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता पत्र के शीर्षक में  द्वारा सही है।
2. यह कि प्रार्थी के विरुद्ध अप्रार्थी व उसकी माता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें प्रार्थी की मा

जर्नल सिंह